

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 जुलाई 2015—आषाढ़ 11, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2015

क्र. डी-15-23-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 690-10091-चौदह-1, दिनांक 5 फरवरी 1969 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति अमरपाटन के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को नवीन मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

ग्राम नादनटोला, तहसील अमरपाटन, जिला सतना के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 6.075 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (3)
1	13/2	6.075
		योग . . 6.075

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—शासकीय नाला

दक्षिण में—श्री दुलीचन्द अग्रवाल पिता श्री हरदर्शन अग्रवाल की भूमि.

पूर्व में—श्री महेन्द्र कुमार पिता श्री उमेश कुमार की भूमि.

पश्चिम में—उद्योग विभाग की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2015

क्र. डी-15-23-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव।

Bhopal, the 2nd July 2015

No. D-15-23-2015-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Amarpatan has been established by this department's Notification even No. 690-10091-XIV-1, dated 5th February 1969, shall be New market yard namely:—

PLACE

An area of 6.075 hectare land of below mentioned Khasra number at Gram Nadantola in Tehsil Amarpatan of District Satna:—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hectare)
(1)	(2)	(3)
1	13/2	6.075
Total . .		6.075

BOUNDED BY

On the North by—Government Naala.

On the South by—Land of Shri Dulichand Agrawal S/o Shri Hardarshan Agrawal.

On the East by—Land of Shri Mahendra Kumar S/o Shri Umesh Kumar.

On the West by—Land of Industries Department.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2015

क्र. डी-15-23-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2015 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति अमरपाटन जिला सतना के निम्नलिखित क्षेत्र को मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

(1) ग्राम नादनटोला तहसील अमरपाटन जिला सतना की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।

(2) मंडी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः—

- (1) अमरपाटन, (2) मौहरिया, (3) जरमोहरा, (4) मड़ोली, (5) नादनटोला, (6) बरेह, (7) परसवाही, (8) सुआ,
- (9) खरमसेडा, (10) कसई.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2015

क्र. डी-15-23-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंब्यक अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd July 2015

No. D-15-23-2015-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard *vide* this department notification even number dated 2nd July 2015 the following area of Amarpatan of district Satna shall be market area :—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Nadantola in Tehsil Amarpatan of District Satna.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the market yard namely:—
 - (1) Amarpatan, (2) Mouhariya, (3) Jarmohra, (4) Gadoli, (5) Nadantola, (6) Barreh, (7) Parswahi, (8) Sua,
 - (9) Kharamseda, (10) Kasei.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.